



M10

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 72 / 2018 (सू.अ.)  
पंजीयन दिनांक:- 28.08.2018

श्री एस. एस. राणावत "मां भवन" हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005




निर्णय

दिनांक 24.09.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 19.07.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 72/2018/(18.09)/348 दिनांक 29.08.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 18.09.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 18.09.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त

  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



AM

-2-

प्रकरण संख्या 72/2018 (सू.अ.)  
श्री एस. एस. राणावत निवासी भीलवाड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/730 दिनांक 13.09.2018 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी श्री एस. एस. राणावत निवासी माँ भवन, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2018 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 20.07.2018 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के बिन्दु संख्या 01 से 05 के स्पष्ट विवरण का उल्लेख करने हेतु प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/1903 दिनांक 01.08.2018 से अवगत कराया गया एवं बिन्दु संख्या 06 का संबंध सरिश्ता अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से होने से प्रार्थी प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/1903 दिनांक 01.08.2018 से सरिश्ता अनुभाग को भिजवाया गया। (छायाप्रति संलग्न)



यह कि प्रार्थी को स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने बाबत इस कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किये गये हैं। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/730 दिनांक 13.09.2018 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/1903 दिनांक 01.08.2018 से उसके द्वारा वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 01 से 05 तक का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का न तो स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया गया और न ही कोई पत्र व्यवहार किया गया।

लोक सूचना अपीलार्थी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



AM

-2-

प्रकरण संख्या 72/2018 (सू.अ.)  
श्री एस. एस. राणावत निवासी भीलवाड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया है और ना ही कोई पत्र व्यवहार किया है तथा प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु भी उपस्थित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।



(इन्द्रजीत सिंह)

आई.एस.  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक: 24/09/2018

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 72 / 2018 (सू.अ.) / 875  
प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री एस. एस. राणावत निवासी "मां भवन" हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)